

राजस्थान विधान सभा
अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा (कम्प्यूटर प्रभाग)

बुलेटिन भाग - 2

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या - 80

जयपुर, दिनांक - 9 सितम्बर, 2014

माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार समस्त माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी माननीय सदस्यों को लैपटॉप/आई-पेड/प्रिन्टर उपलब्ध कराये जाने की घोषणा के परिपेक्ष्य में प्रत्येक माननीय सदस्य को राशि रुपये 60,000/- की सीमा तक लैपटॉप मय प्रिन्टर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 6(1)संसद/2013 दिनांक 5 अगस्त, 2014 तथा दिनांक 2 सितम्बर, 2014 के माध्यम से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक माननीय सदस्य निम्न दिशा-निर्देशों के तहत उपकरण क्रय कर सकेंगे -

1. माननीय सदस्य अपनी इच्छानुसार किसी भी मेक (Make) का लैपटॉप/आई-पेड/प्रिन्टर तथा इनसे सम्बद्ध कोई भी एसेसरीज राशि रुपये 60,000/- (अक्षरे साठ हजार रुपये मात्र) की सीमा में कहीं से भी क्रय कर सकेंगे।
2. यदि किसी माननीय सदस्य द्वारा निर्धारित सीमा (राशि रुपये 60,000/-) से अधिक राशि के उपकरण क्रय किये जाते हैं तो व्यय की गई अतिरिक्त राशि माननीय सदस्य को स्वयं वहन करनी होगी।
3. लैपटॉप उपकरण क्रय किये जाने के संबंध में माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए निम्न प्रारम्भिक कॉन्फिगरेशन का सुझाव है -

Option -1	Option -2
Ultra Portable Notebook (Windows)- Notebook having Intel Core i5 (2.5Ghz, Dual Core, 3MB Cache) or higher processor; Intel 6/7 Series Chipset or equivalent; 4GB DDR3 or higher Memory; Gigabit Ethernet, WiFi & Bluetooth enabled; built in webcam, Finger print sensor, integrated graphics & sound controller with stereo speakers & MIC; 500GB or higher SATA 3Gbps hard disk (5400 rpm or higher) having three axis diagonal motion detection & protection during normal use against shock & vibration; 13.3" LED display; Built in Card Reader, dual layer DVD writer external, Keypad with palm rest & touch pad with scroll / touch point; Weight < 2Kg; Battery Backup- Minimum 4 Hrs Battery Backup under standard working conditions using Lithium Ion Rechargeable Battery; Accessories- AC Power Adapter, headphone & good quality Carrying case(backpack); Preloaded with Windows 7 Prof 64 bit OS (Latest Version), all necessary Plug-ins/utilities, antivirus software (with one year validity), hard disk data encryption and driver software including bundled in optical media; (one year warranty on battery). (Price all inclusive and 3 yr warranty)	Ultra Thin Notebook(Windows)- Ultrabook having Intel Core-i3 (1.8Ghz, dual core, 3MB Cache, 17W) or higher processor; Intel 6/ 7 Series Chipset or equivalent; 4GB DDR3 or higher Memory; Fast Ethernet(via USB to ethernet convertor), WiFi & Bluetooth enabled; built in webcam; integrated sound and graphics controller with stereo speakers & Mic; 320 GB or higher SATA 3Gbps hard disk with 20 GB SSD drive; 13" LED display; External dual layer DVD writer; Keypad with palm rest & touch pad with scroll/track point; Battery Backup- Minimum 6 Hrs Battery Backup under standard working conditions using Lithium Ion Rechargeable Battery; Accessories- AC Power Adapter & good quality Carrying case; Latest Anti Virus software with one Year validity, weight less than 1.5 Kg, Metal Alloy chassis having Z height less than 18 mm; Preloaded Microsoft Window 7 Professional (64 bit) with recovery media bundled with required drivers; (With 5 yr warranty)

माननीय सदस्य इससे उच्च कॉन्फिगेशन का लैपटॉप भी क्रय कर सकेंगे । यह भी सूचित करना है कि क्रय किये जाने वाले उपकरणों के कॉन्फिगेशन तथा उनकी कीमत के सम्बन्ध में माननीय सदस्य स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही उपकरण क्रय करें।

4. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बीजक सचिव, राजस्थान विधान सभा के नाम तीन प्रतियों में बनवायें तथा बीजक पर सभी उपकरणों का मॉडल सहित सीरियल नम्बर जिनके आधार पर विधान सभा सचिवालय में उपकरण की स्टॉक प्रविष्टी की जायेगी, भी अंकित होना आवश्यक है । फर्म से प्राप्त बीजक को माननीय सदस्य स्वयं सत्यापित कर (बीजक पर साफ अक्षरों में अपना नाम तथा विभाजन संख्या अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर करेंगे) भुगतान/ पुनर्भरण के लिए विधान सभा को प्रस्तुत करेंगे । क्रय किये गये उपकरणों के बिल का भुगतान माननीय सदस्य की सहमति तथा सत्यापन के पश्चात सीधे फर्म को अथवा माननीय सदस्य द्वारा भुगतान कर दिये जाने की स्थिति में स्वयं माननीय सदस्य को पुनर्भरण किया जा सकेगा । बीजक की वांछित अहर्ताएं पूर्ण नहीं करने की दशा में भुगतान किया जाना संभव नहीं हो सकेगा । उपकरणों को क्रय करने के लिए किसी प्रकार की अग्रिम राशि उपलब्ध करवा पाना भी सम्भव नहीं होगा । यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि इस सचिवालय द्वारा माननीय सदस्यों द्वारा क्रय किये गये समस्त उपकरणों के निमित्त राशि रुपये 60,000/- से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकेगा । उल्लेखनीय है कि बीजक इन दिशा-निर्देशों के जारी होने की तिथि के पश्चात का होना आवश्यक है। इस तिथि से पूर्व क्रय किये उपकरणों के बीजकों का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के संबंध में सभी माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि कम्प्यूटर उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव तथा प्रयुक्त होने वाली स्टेशनरी आदि सभी कन्ज्यूमेबल्स का दायित्व माननीय सदस्यों का स्वयं का होगा। इस संबंध में किये गये किसी भी व्यय का भुगतान विधान सभा सचिवालय द्वारा नहीं किया जायेगा ।
6. माननीय सदस्यों द्वारा ऑनलाइन प्रश्न भिजवाने हेतु ऑनलाइन आन्सरिंग इन्फोर्मेशन सिस्टम (ओएसिस) पर डिजिटल सिग्नेचर प्रयुक्त करने होते हैं। माननीय सदस्यों को इस सचिवालय द्वारा बुलेटिन भाग-2 संख्या 1 दिनांक 3 जनवरी, 2014 को डिजिटल सिग्नेचर जारी करवाने हेतु निवेदन किया जा चुका है। जिन माननीय सदस्यों ने डिजिटल सिग्नेचर जारी नहीं करवाया है ऐसे माननीय सदस्य कम्प्यूटर उपकरण क्रय करने के पश्चात डिजिटल सिग्नेचर जारी करवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
7. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि लैपटॉप उपकरण 28 फरवरी, 2015 से पूर्व क्रय कर बीजक भुगतान हेतु विधान सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दें जिससे इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जा सके । इसके पश्चात बजट व्यपगत हो जाने पर भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा ।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव